कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
वैबसाईट/Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: हि.अ./ति.प्र.रि./संगठन/वीडियो कांफ्रेसिंग/2018 2002 दिनांक : 30 OCT 2018

सेवा में,

निदेशक- पीडीनास, अपर के.भ.नि.आ.- प्रभारी अपर के.भ.नि.आ. कार्यालय- कानपुर, दिल्ली एवं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पुणे, विजयवाड़ा, चंडीगढ़

विषय: दिनांक 28.09.2018 को अपराह्न 12:30 बजे अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा श्री के.एल. गोयल की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के कार्यवृत का प्रेषण ।

महोदय,

दिनांक 28.09.2018 को अपराह्न 12:30 बजे अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा श्री के.एल. गोयल की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के कार्यवृत आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं। अनुरोध है कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान दिए गए आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(वीणा रानी यादव)
उप निदेशक (राजभाषा)

दिनांक 28.09.2018 को अपराह्न 12:30 बजे अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा श्री के.एल. गोयल की अध्यक्षता में हुई वीडियो कान्फ्रेसिंग के कार्यवृत

दिनांक 28.09.2018 को अपराह्न 12:30 बजे अपर केन्द्रीय आयुक्त (मुख्यालय) एवं प्रभारी राजभाषा श्री के.एल. गोयल की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेसिंग की गई । चर्चा के मुख्य बिंदु थे - दिनांक 30.06.2018 को समाप्त तिमाही के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5 का उल्लंघन करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों की सुदृढ़ मॉनीटरिंग तथा कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट न करना। इस संबंध में प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्तों से चर्चा की गई।

चर्चा में भाग लेने वाले अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) की सूची इस प्रकार है:-

1. अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - कानपुर : क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली तथा कानपुर की रिपोर्ट न प्राप्त होने के संबंध में ।
2. अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - दिल्ली एवं उत्तराखंड : क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (उत्तर, मध्य, दक्षिण, पश्चिम), देहरादून द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन तथा क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा राजभाषा नियम-5 का उल्लंघन ।
3. अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़ : क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन ।
4. अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - पुणे : क्षेत्रीय कार्यालय, औरंगाबाद तथा नागपुर द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर द्वारा राजभाषा नियम-5 का उल्लंघन ।
5. अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - विजयवाड़ा : धारा 3(3) का उल्लंघन ।
6. निदेशक - पीडीनास : आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान शिलांग द्वारा धारा 3(3) का उल्लंघन तथा राजभाषा नियम-5 का उल्लंघन ।

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - चण्डीगढ़ से संपर्क नहीं किया जा सका ।

उपर्युक्त कार्यालयों के संबंध में उनके अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) से चर्चा की गई जिनमें यह तथ्य सामने आए कि कानपुर, देहरादून, हल्द्वानी, ग्वालियर, नागपुर, कोल्हापुर, विजयवाड़ा, चेन्नै तथा शिलांग में हिंदी अनुवादक न होने के कारण उपर्युक्त समस्याएं सामने आई हैं। अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) / प्रभारी राजभाषा ने स्पष्ट किया कि क.भ.नि.सं., मुख्यालय की वेबसाइट पर क्रम संख्या 209 पर प्रदर्शित आदेशानुसार सभी जोनल कार्यालय अपने

जोन में तैनात हिंदी अनुवादकों से कार्य लेना सुनिश्चित करें जिससे की राजभाषा उपबंधों की अवहेलना न हो। अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) / प्रभारी राजभाषा ने यह भी स्पष्ट किया कि राजभाषा उपबंधों का उल्लंघन किया जाना कार्यालय के हित में नहीं है इससे कई प्रकार की सांविधिक कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती है तथा संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान भी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

निदेशक, पीडीनास ने सूचित किया कि चेन्नै तथा शिलांग में प्रभारी अधिकारी न होने के कारण यह समस्या आई है। अब, चूंकि प्रभारी अधिकारी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है अत: इस प्रकार के उल्लंघन अब नहीं किए जाएंगे। अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - कानपुर ने बताया कि भविष्य में इसे दोहराया नहीं जाएगा और समय पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसी प्रकार अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (जोनल) - दिल्ली एवं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छतीसगढ़, पुणे तथा विजयवाड़ा ने भी स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाए जाने का आश्वासन दिया ।

अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) / प्रभारी राजभाषा ने सभी संबंधितों को तदनुसार कार्रवाई करने तथा कृत कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का आदेश दिया । इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग समाप्त हुई।

(कार्रवाई - सभी संबंधित आंचलिक कार्यालय)

24.4.18

(के.एल. गोयल)
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्यालय) / प्रभारी राजभाषा